

कार्यालय निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
आदेश क्रमांक: 23/84-2002-वि-टी।। दिनांक, चण्डीगढ़: 13.4.2002

ग्रीनवुड कांवेंट स्कूल पलवल [फरीदाबाद] को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10वीं स्तर की सम्बद्धता देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनें वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

सुरीना राजन
निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पुनर्निर्देशन क्रमांक-सम

दिनांक: 7/3/2

इसको एक प्रति विमललिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शिक्षा शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक वे-टा 2002/10 दिनांक 9.1.2002 के संदर्भ में ।
2. ✓ मु०अ० ग्रीनवुड कांवेंट स्कूल, पलवल [फरीदाबाद] ।
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र लक्ष्मिनिदी रोड प्रीत विहार नई दिल्ली-110002.

अधीक विद्यालय-
कृते: निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

[अमोवा]
22.4.02

Shubhal
Teacher Incharge
Green Wood Convent School
Palwal (Faridabad)

R. Khanday
MANAGER
GREEN WOOD CONVENT
PUBLIC SCHOOL
PALWAL